

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्यट सचिवालय
द्वितीय तल, विकास भवन, बेली रोड, पटना
E-mail: sipbbihar16@gmail.com, Website: w.w.w.udyog.bihar.gov.in

सं० सं०-एस०आई०पी०बी००२०१७००३५५.....

दिनांक-

सीमा में

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

विषय- मेसर्स श्री गणपति फूड इण्डस्ट्रीज, पटना द्वारा बेलदारीचक, कन्सारी, गौड़ीचक, पटना में 4000 मे० टन प्रतिवर्ष क्षमता का दाल मिल की ईकाई की स्थापना हेतु प्रथम किस्त ब्याज अनुदान के रूप में कुल रु० 11,67,212/- (मात्र ग्यारह लाख सड़सठ हजार दो सौ बारह रूपए) मात्र अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेसर्स श्री गणपति फूड इण्डस्ट्रीज, पटना द्वारा बेलदारीचक, कन्सारी, गौड़ीचक, पटना में 4000 मे० टन प्रतिवर्ष क्षमता का दाल मिल की ईकाई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्यट की बैठक दिनांक 07.06.2017 को स्टेज-1 तथा दिनांक 26.03.2018 की बैठक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के विधिसूची-7 (2) (i) में निर्दिष्ट प्रावधान के अलावा में प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन भी प्राप्त है। यह ईकाई खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिकता सूची में है।

2. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत ईकाई के उत्पादन में आने के बाद ही अनुदान देय है, अतएव राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्यट सचिवालय के कार्यालय आदेश ज्ञापक-SIPB201700355/22 दिनांक 17.01.2019 के द्वारा श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग कन्द्र, पटना द्वारा ईकाई का स्थल निरीक्षण कराया गया। जांच दलों के द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में ईकाई को दिनांक 01.09.2016 से कार्यरत बताया गया है। ईकाई बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए मात्र है।

3. ईकाई को 02 सितम्बर, 2016 से 31 जून, 2018 तक प्रथम किस्त ब्याज अनुदान के रूप में कुल रु० 11,67,212/- (मात्र ग्यारह लाख सड़सठ हजार दो सौ बारह रूपए) को अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है-

(i) ईकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य और सक्षम कारण के बंद होती है तो भुगतान की गई अनुदान की राशि 18% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(ii) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति के पश्चात् 5 वर्षों तक स्थापित मशीन-उपकरण, आभारभूत संरचना, भूमि की बिक्री/ लीज/ हस्तांतरण किसी अन्य को नहीं किया जाएगा।

(iii) अनुदान की गणना में झुट्टि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जायेगी।

(iv) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु झूठी उद्घोषणा किए जाने, उपलब्ध कराए गए कागजात के नविध्य में गलत पाए जाने पर भुगतान की गई अनुदान की राशि भुगतान की तिथि से 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(v) यदि ईकाई के द्वारा निर्धारित समय पर राशि वापस नहीं लौटाई जाती है तो राज्य सरकार द्वारा Public Demand Recovery Act के अंतर्गत ब्याज सहित उक्त राशि की वसूली सु-राजस्व के बकायों के रूप में की जाएगी।

4. उक्त राशि का व्यय वहन राज्यादेश सं०-2060, दिनांक-11.06.18 एवं आदेशनादेश सं०-5/D1-B(Allotment)-16/2018, Order No-1480 dated-13.06.2018 के अलावा में मुख्य शीर्ष 2652 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80-सामान्य, लघु शीर्ष 102-औद्योगिक उत्पादकता, मींग संख्या 23, उप शीर्ष 0160-प्री प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोस 23-2852601020160, विषय शीर्ष 0160.33.01 सस्विडी मद में घालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में उपबंधित राशि से विकल्पित होगा।

क्रमशः पृष्ठ-2

- 5 इस राशि के निकासी एवं व्ययन प्रदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री प्रदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।
- 6 इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।
- 7 इस राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रसीद पर बी० टी० सी० फार्म-26 पर की जाएगी।
- 8 इस राशि का मुगलान श्री गणपति फूड इन्फरस्ट्रक्चर को उनके पंजाब नेशनल बैंक, पटना में खाता संख्या-3891008700001913, IFS Code-PUNB0389100 में RTGS के माध्यम से की जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

HO/-

(पंकज कुमार सिंह)

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०

बिहार, पटना।

दिनांक-

ज्ञापक—एस०आई०पी०बी०२०१७०३५५.....

प्रतिलिपि—कोषागार प्रदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

HO/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०

बिहार, पटना।

दिनांक-

ज्ञापक—एस०आई०पी०बी०२०१७०३५५.....

प्रतिलिपि वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनाार्थ प्रेषित।

HO/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०

बिहार, पटना।

ज्ञापक—एस०आई०पी०बी०२०१७०३५५..... 1818

दिनांक— 06.03.19

प्रतिलिपि— महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना को सूचनाार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / एस० टी० प्रबन्धक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / मेसर्स श्री गणपति फूड इन्फरस्ट्रक्चर, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०

बिहार, पटना।